(3)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 191/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बउनवान

लालचन्द पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार निवासी मण्डोला तहसील बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक **(अपीलांट)**

2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 16.03.2018

अपील न्यायालय जिला कलक्टर बारां द्वारा अन्तरित की गई है। अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के प्रकरण संख्या 57/2015 किस्म धारा 91 एल.आर. एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम मण्डोला की किस्म माल I एवं बारानी I भूमि खसरा नम्बर 15, 11 की रकबा 0.15 हेक्टयर भूमि पर ईटभट्टा लगाकर अतिक्रमण करने पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 2813/– रूपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 11.4.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर, पत्रावली मे बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलांट के विरूद्व एकतरफा पारित किया गया है तथा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया है, पत्रावली में अपीलान्ट का बेदखली नामा शामिल नहीं किया गया है तथा अतिक्रमण वाली आराजी की पैमाइश भी नहीं की है और नही पैमाइश रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है तथा न ही स्वतंत्र साक्ष्य ली है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलान्ट का उक्त वर्णित आराजीयात पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्ट ने ताबान राशि भी जमा करवा दी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जाकर, अपीलांट को सजा से बरी किया जाकर, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बारां

पेरोकार सरकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 545/2013 में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2013 की पालना में बेदखल किया गया था। परन्तु अपीलान्ट ने संवत् 2071 में पुनः अतिक्रमण कर ईंट भट्टा लगा लिया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

हमने अपीलांट के अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा पूर्व में किये गये अतिक्रमण से संबंधित पत्रावली हस्तगत प्रकरण की पत्रावली में संलग्न नहीं की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015 मे तकनीकी त्रुटि प्रतीत होती है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां द्वारा पारित शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 57/2015 किस्म धारा 91 सपठित धारा 90 ए एल.आर. एक्ट 1956 मे पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015 से दी गई सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाता है। अपीलांट यदि ईटभट्टा उद्योग चालू रखना चाहता है तो नियमानुसार राज्य सरकार के प्रदूषण विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर तहसीलदार बारां को प्रस्तुत कर दे, अन्यथा अपीलांट द्वारा संचालित ईट भट्टा बन्द रखे। यदि अपीलांट द्वारा ईट भट्टा बिना स्वीकृति चालू किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015 यथावत रहेगा।

आदेश आज दिनांक 16.03.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां